



दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: Plexh/Cir/ 259

24/06/2025

को,

Plexconcil के सभी सदस्य/

सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: भारत में न्यूजीलैंड के निर्यातकों को बाजार पहुंच की अनुमति देने पर सदस्य इनपुट के संबंध में

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि डीसीपीसी कार्यालय ने 86 चिन्हित प्लास्टिक उत्पादों के लिए न्यूजीलैंड के निर्यातकों को तरजीही बाजार पहुंच प्रदान करने पर उद्योग से प्रतिक्रिया या टिप्पणियां मांगी हैं।

इस अभ्यास के माध्यम से प्राप्त जानकारी से सरकार को इन उत्पादों में न्यूजीलैंड के निर्यातकों के लिए बाजार पहुंच को उदार बनाने के बारे में उद्योग के विचारों को समझने में सहायता मिलेगी, तथा तदनुसार, चल रहे भारत-न्यूजीलैंड एफटीए वार्ता के तहत उचित तरजीही टैरिफ दरों की पेशकश करने में सहायता मिलेगी।

हमें आपके साथ एचएस कोड की सूची साझा करते हुए खुशी हो रही है जिसके लिए न्यूजीलैंड ने भारत से तरजीही बाजार पहुंच का अनुरोध किया है। आपसे अनुरोध है कि आप नीचे दिए गए विकल्पों में से अपनी पसंद बताएं, साथ ही अपने व्यावसायिक हितों से संबंधित एचएस कोड के लिए उचित औचित्य भी बताएं:

टैरिफ उन्मूलन तत्काल - कार्यान्वयन की तिथि से शुल्क "शून्य" हो जाएगा

चरणबद्ध तरीके से टैरिफ उन्मूलन - कार्यान्वयन की तारीख से एक निश्चित समयावधि के बाद शुल्क "शून्य" हो जाएगा

टैरिफ में कमी- शुल्क को चरणबद्ध तरीके से कम किया जाएगा

टैरिफ दर कोटा- वस्तुओं की एक विशिष्ट मात्रा ("कोटा") के लिए शुल्क कम या शून्य होगा तथा उस मात्रा से अधिक के आयात पर मानक MFN दर लागू होगी।

यदि आपको किसी स्पष्टीकरण या अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता हो, तो कृपया bharti@plexconcil.org ; research@plexconcil.org पर संपर्क करें।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे ²⁵ जून, 2025 तक अपने बहुमूल्य इनपुट/टिप्पणियाँ/फीडबैक भेजें।

दस्तावेज़ ढूँढने के लिए यहां [क्लिक करें](#)

सम्मान,

भारती परवे

उप निदेशक - व्यापार एवं नीति

प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद